न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 131 सन 2021
अनवान :–

1. मीरा पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्णा पत्नी पूर्णाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 15/4/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 144/141 की कुल 3.8950हैक व रोही मोजा खरसण्डी के खाता संख्या 57/56 की कुल 7.9500हैक एव रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 69/72 की कुल 2.4910हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में उसके पति पूर्णाराम के नाम से दर्ज थी पूर्णाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 के पति पूर्णाराम के कोई भी औलाद नही थी प्रार्थीया का पति लाऔलाद ही फोत हुआ था प्रतिवादी संख्या 1 के भी कोई औलाद नही है प्रतिवादी ने अपनी सेवा चाकरी करने के लिये वादीया को खोलायल पुत्री के रूम में ले रखा था तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 मॉ बेटी की तरह जीवन यापन कर रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीया की सेवा चाकरी से खूश है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि तीनों गांव की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया काश्त करती आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि वादीया के नाम से दर्ज नही है जिससे वादीया के हकों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके पति पूर्णाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से उसके नाम हुई है क्योकि पूर्णाराम के काई औलाद नही थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पति के देहान्त होने के बाद वादीया को खोले लिया था जो प्रतिवादी की सेवा चाकरी करती आ रही है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम से दर्ज समस्त भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 144/141 की कुल 3.8950हैव व रोही मोजा खरसण्डी के खाता संख्या 57/56 की कुल 7.9500हैव एव रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 69/72 की कुल 2.4910हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में उसके पति पूर्णाराम के नाम से दर्ज थी पूर्णाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 के पति पूर्णाराम के कोई भी औलाद नही थी प्रार्थीया का पति लाऔलाद ही फोत हुआ था प्रतिवादी संख्या 1 के भी कोई औलाद नही है प्रतिवादी ने अपनी सेवा चाकरी करने के लिये वादीया को खोलायल पुत्री के रूम में ले रखा था तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 मॉ बेटी की तरह जीवन यापन कर रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीया की सेवा चाकरी से खूश थी प्रतिवादी संख्या 1 ने ही वादीया की शादि की थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया था इसलिये वाद भूमि तीनों गांव की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया काश्त करती आ रही है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की खोलायत पूत्री है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 144/141 की कुल 3.8950हैव व रोही मोजा खरसण्डी के खाता संख्या 57/56 की कुल 7.9500हैव एव रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 69/72 की कुल 2.4910हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पति पूर्णाराम के नाम से दर्ज थी पूर्णाराम के काई औलाद नही थी पूर्णाराम लाऔलाद ही फोत हुआ था तथा विरास्तन से वाद भूमि उसके पत्नी के नाम से दर्ज हुई थी।

वादीया का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पति के देहान्त होने से पूर्व पूर्णाराम के जीवनकाल में वादीया को पूत्री की हैसीयत से खोले लिया गया था जो प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मॉ बेटी की तरह रहती थी और प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया की मॉ है की सेवा चाकरी करती थी वादीया की शादि भी प्रतिवादी संख्या 1 ने की थी और अपने नाम दर्ज वाद भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया गया था वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की खोलायत पुत्री है जो उसके साथ ही रह कर उसकी सेवा चाकरी करती थी व शादी भी प्रतिवादी संख्या 1 ने की थी व अपने नाम दर्ज भूमि को वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

गांव के मौजिज व्यक्ति शिशपाल पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने भी शपथ पत्र पेश कर वादीया के कथनों की पूष्टि की गई है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा मॉ अपनी बेटी की खूशी सामर्थय के लिये अपने हकों का त्याग करने की अधिकारी है।

वादीया के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की मॉ अपनी पुत्री को अपने हक हिस्से की भूमि का त्याग अपनी पुत्री के पक्ष में कर सकती है अत वादीया का साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 144/141 की कुल 3.8950हैक व रोही मोजा खरसण्डी के खाता संख्या 57/56 की कुल 7.9500हैक एव रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 69/72 की कुल 2.4910हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/4/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़ी)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मीरा पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कृष्णा पत्नी पूर्णाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 131 सन 2021 निर्णय दिनांक– 15/4/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 144 / 141 की कुल 3.8950हैक व रोही मोजा खरसण्डी के खाता संख्या 57 / 56 की कुल 7.9500हैक एव रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 69 / 72 की कुल 2.4910हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / – रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/4/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमव जयत

Scanned with CamScanner